



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में चिकित्सालय में स्थापित शौचालयों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०/निर्माण/2025-26/421, दिनांक 19.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में चिकित्सालय में स्थापित शौचालयों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रु० 577.29 लाख का प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराते हुए पी०एफ०ए०डी० से मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण कराकर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनेका निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में चिकित्सालय में स्थापित शौचालयों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत रु० 560.67 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रु० 100.00 लाख (रु० एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रायोजनान्तर्गत समस्त कार्य मानक के अनुसार व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा। यदि प्रश्नगत कार्य अधोमानक पाया गया या कोई भी वित्तीय/अनियमितता परिलक्षित होती है तो उक्त के लिए प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इस की डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
4. प्रयोजनान्तर्गत आगणन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में दिव्यांगजन हेतु हितैषी/बाधा रहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा "Harmonized guidelines and Standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रायोजना में जीर्णोद्धार से सम्बन्धित कार्य कराये जाने हैं। प्रभाग का मत है कि प्रधानाचार्य द्वारा उक्त निर्माण कार्य के दृष्टिगत एक समिति गठित की जाये जिसमें कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मूल निर्माण कब हुआ था तथा इसकी निर्माण आयु कितनी थी? जीर्णोद्धार की स्थिति किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई। उक्त से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही इस समिति की देख-रेख में उक्त कार्यों को न्यूनतम आवश्यकतानुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके।
6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7. प्रयोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित करायें। साथ ही प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 06 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण करायाजाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
9. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानत हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/ कार्यदायी संस्था का होगा।
11. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दुरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
14. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
15. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
18. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
19. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
20. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031056800** राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-339/दस-2025-26-दिनांक 05 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0 (पैक्सपेड), लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।